

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषय:- प्रस्ताव "Construction of widening and strengthening road from viratnagar (NH-248 A) to Chilpali Mod (NH-148) Via Teori, Sewra Palri, Palri Tiraha, Ghotra, Sawami ki Dhani, Badshahpura, Gudha Baijanathpura, Todalari, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/140508/2021 के क्रम में।

सन्दर्भ:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक F14 (PWD) 2021/FCA/PCCF/EDS-1 दिनांक 27.04.2022 एवं आपके कार्यालय के द्वारा ऑनलाईन EDS दिनांक 4.5.22 एवं 6.5.2022 के क्रम में।


महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक F14 (PWD) 2021/FCA/PCCF/EDS-1 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा उक्त प्रस्ताव में लगाये गये आक्षेपों का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार तैयार कर आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	कमियां	जवाब
1	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट-II में Working plan prescription में NA लिखा है, जो गलत है।	संशोधित कर दिया गया है।
2	NFL भूमि पर विभागीय KML अपलोड किये जाने पर पाया गया कि यह पूर्व से ही वन भूमि है। इसे उप वन संरक्षक स्तर से स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।	प्रत्यावर्तित की जाने वाली भूमि के बदले प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि (NFL) वन खण्ड तालुका बास उर्फ बरकडा की डूंगरी-49 की बाहरी परिधि के अन्दर है। परन्तु उक्त भूमि चक के द्वारा बाहर की गई है, एवं उसके क्षेत्र को वन खण्ड में शामिल नहीं किया गया है।
3	प्रस्तावित NFL को गूगल पर देखे जाने पर पाया गया कि यह पहले से ही वृक्षों से आच्छादित है। इस पर 1000 पौधे/है० रोपित किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता।	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ.() 2020-21/प्रमुवस/एफसीए/584-691 दिनांक 1.03.2021 द्वारा स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि कार्य स्थल की परिस्थिति के कारण NFL में 1000 पौधे प्रति हैक्टर रोपण नहीं हो पाने की स्थिति में अवशेष पौधे किसी समीप के DFL में रोपित किये जावेंगे (प्रति संलग्न)। अतः कुल 4314 पौधे में से 2160 पौधे तो प्रस्तावित NFL में लगाये जावेंगे तथा अवशेष 2154 पौधे समीप के वन खण्ड तालुका बास उर्फ बरकडा की डूंगरी-49 के 4.0 हैक्टर वन क्षेत्र (DFL) में लगवा दिये जायेंगे।
4	CA का Site Specific प्राक्कलन 1000 पौधे/है० से	पूर्व में CA का Site Specific प्राक्कलन 1000

	नहीं किया गया।	पौधे/है0 से ही किया गया था। किन्तु उक्त प्रस्तावित गैर वन भूमि पर पहले से ही पौधों की अधिकता के कारण 1000 पौधे/है0 नहीं लग सकते हैं। अतः प्रस्तावित गैर वन भूमि क्षेत्र 4.314 हैक्टर में 2160 पौधे लगाये जायेंगे। तथा अवशेष 2154 पौधे समीप के वन खण्ड तालुका बास उर्फ बरकडा की डूंगरी-49 के 4.0 हैक्टर वन क्षेत्र (DFL) में लगवा दिये जायेंगे।
5	NPV की दरें जयपुर जिले की Eco-Class अनुसार प्रस्तावित नहीं की गई हैं।	NPV की दर में जयपुर जिले की Eco-Class के अनुसार संशोधन कर दिया गया है।
6	प्रस्तावित Site वृक्षारोपण हेतु Suitable प्रतीत नहीं होती हैं। अतः उप वन संरक्षक द्वारा Suitability certificate गलत प्रतीत होता है।	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ.() 2020-21/प्रमुवस/एफसीए/584-691 दिनांक 1.03.2021 द्वारा स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि कार्य स्थल की परिस्थिति के कारण NFL में 1000 पौधे प्रति हैक्टर रोपण नहीं हो पाने की स्थिति में अवशेष पौधे किसी समीप के DFL में रोपित किये जावेंगे (प्रति संलग्न)। अतः कुल 4314 पौधे में से 2160 पौधे तो प्रस्तावित NFL में लगाये जावेंगे तथा अवशेष 2154 पौधे समीप के वन खण्ड तालुका बास उर्फ बरकडा की डूंगरी-49 के 4.0 हैक्टर वन क्षेत्र (DFL) में लगवा दिये जायेंगे।
7	वन क्षेत्र के गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपलोड/संलग्न नहीं हैं।	वन क्षेत्र के गजट नोटिफिकेशन की प्रति पत्रावली के पेज संख्या 123 से 130 पर लगी हुई है। जिसे अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 4 सैट।

भवदीया

 (सुदीप कौर) IFS
 उप वन संरक्षक
 जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2021-22/


दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

उप वन संरक्षक
 जयपुर (उत्तर)

①



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/एफ.()2020-21/प्रमुवस/एफसीए/

दिनांक:-

परिपत्र

RoA
9-3-21
प्रदेश में वन भूमि की न्यून उपलब्धता एवं प्रदेश के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्तावों का सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण किया जाना अत्यावश्यक है ताकि न्यूनतम आवश्यक वनभूमि ही गैर वानिकी कार्य के उपयोग में लाई जा सके। वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त होने वाले अधिकांश प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 40 हैक्टेयर क्षेत्रफल से कम के होते हैं, तथा उनमें भी ज्यादातर प्रस्ताव एक हैक्टेयर या एक हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के होते हैं। अतः वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के प्रभावी नियंत्रण एवं प्रदेश में वन भूमि का कम से कम क्षेत्र गैर वानिकी गतिविधियों के उपयोग के लिये सुनिश्चित करने हेतु निम्न दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन प्राप्त होने वाले वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्तावों में पार्ट-II में सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित किये जाने वाले स्थल का निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार की जाकर अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाती है, परन्तु 40 हैक्टेयर से कम के क्षेत्रफल हेतु मुख्य वन संरक्षक स्तर से स्थल निरीक्षण अनिवार्य नहीं होने के कारण सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षकगणों द्वारा उक्त प्रस्तावों में कार्यस्थल के निरीक्षण के बारे में भाग-III में कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। परन्तु चूंकि वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त होने वाले अधिकांश प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 40 हैक्टेयर क्षेत्रफल से कम के होते हैं, तथा उनमें भी ज्यादातर प्रस्ताव एक हैक्टेयर या एक हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के होते हैं, यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि 40 हैक्टेयर से कम के प्रस्तावों में भी मुख्य वन संरक्षक स्तर द्वारा स्वयं स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर अपनी टिप्पणी व अभिप्राय भाग-III में की जावे। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्बन्धित उप वन संरक्षक के अतिरिक्त संबन्धित मुख्य वन संरक्षक भी, स्वतंत्र रूप से, प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण कर, निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्ताव के भाग-III में अपनी टिप्पणी अनिवार्य रूप से उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे।

(2)

2. यह भी देखा गया है कि अनेक प्रकरणों में स्थल विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा अतिरिक्त शर्त अथवा विशेष टिप्पणी भाग-II / भाग-III में उल्लेखित नहीं करते हैं जिससे उनका परीक्षण नहीं हो पाता और वे इस कार्यालय की अभिप्राया में सम्मिलित होने से रह जाते हैं। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक स्थल विशेष की परिस्थिति अनुसार यदि कोई विशेष टिप्पणी/शर्त प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसका उल्लेख प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के भाग-II / भाग-III में स्पष्टता से सम्मिलित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रत्यावर्तन प्रस्तावों में सम्मिलित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु Forest Conservation Rules-2003 के बिन्दु संख्या 2.8 (प्रति संलग्न) में उल्लेखित शर्तों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे, जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि (NFL)/परिभ्राषित वन भूमि (DFL) में 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यस्थल की परिस्थिति के कारण NFL में 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण नहीं हो पाने की स्थिति में शेष पौधे किसी समीप के DFL में रोपित किये जावेंगे। इसी प्रकार चयनित DFL क्षेत्रफल में 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर नहीं लग पाने की स्थिति में शेष पौधों को अतिरिक्त DFL क्षेत्र चिन्हित कर लगाया जावेगा। उल्लेखनीय है कि DFL हेतु 0.4 घनत्व से कम वाले वन क्षेत्र का ही चयन किया जावे। उपरोक्तानुसार ही NFL/DFL की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना एवं प्राक्कलन प्रस्ताव के सम्मिलित कर भिजवाये जावेंगे।
4. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु NFL/DFL के प्राक्कलन तैयार करते समय कार्यस्थल की भौगोलिक स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे एवं प्राक्कलन कार्य स्थल विशेष (Site Specific) के अनुसार ही तैयार कर प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के साथ प्रेषित किये जावें एवं तदनुसार ही प्रयोक्ता अभिकरण से राशि की मांग की जावे।
5. उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश की अनुपालना में चिन्हित डीम्ड फॉरेस्ट श्रेणी की भूमियों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं एवं उस पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होता है। अतः इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन क्षेत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति अनुसार डीम्ड फॉरेस्ट/ओरण/बणी वाले क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया गया है तथा सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मुख्य वन

संरक्षकगण स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (Site Inspection Report) में इसका उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्तानुसार निर्देशों की पालना प्रत्येक प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। उक्त के अभाव में इस कार्यालय द्वारा प्रत्यावर्तन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीया

(श्रुति शर्मा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर



क्रमांक/एफ.()2020-21/प्रमुखस/एफसीए/ 584-691

दिनांक:- 1.3.21

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, वन, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय मुख्य वन संरक्षकगण/मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव
6. समस्त उप वन संरक्षक प्रादेशिक/वन्यजीव अनुभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन
एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

व/फ.सी.ए.
30/03/2021

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर राजस्थान

क्रमांक:- एफ 5 ()एफसीए/मुवसंज/2020/ 1540-45

दिनांक:- 26/03/2021

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक जयपुर/जयपुर (उत्तर)/अलवर/दौसा/सीकर/झुंझुनू को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ ()2020-21/प्रमुखस/एफसीए/584-691 दिनांक 01.03.2021 की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

(कै.सी. मीना)
मुख्य वन संरक्षक
जयपुर, राजस्थान

F.No. 11-423/2011 – FC
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj,
New Delhi-110003.
Dated: 8th November, 2017

To

The Principal Secretary (Forests)
All States/UT Governments.

Sub: Identification and suitability of Non-forest land for Compensatory Afforestation under Forest Conservation Act 1980 - regarding Identification of Land Bank for Compensatory Afforestation (CA)

Sir,

I am directed to invite your kind attention to the chapter III of guidelines issued in 2003 by MoEF to implement the Forest Conservation Act 1980 which deals with compensatory afforestation. The para 3.2 of the said guidelines provides for identification of land for compensatory afforestation.


In 3.2 (i) it has been clarified that Compensatory afforestation shall be done over equivalent area of **non-forest land (NFL)**.

As an explanation to 3.2(i) it has been mentioned that:

As a matter of pragmatism, the revenue lands/zudpi jungle/ Chhote/ Bade jhar ka jungle/ jungle-jhari land/civil – soyam lands and all other such categories of land, on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, shall be considered for the purpose of compensatory afforestation provided that lands on which compensatory afforestation is proposed shall be notified as RF under the Indian Forest Act, 1927.

The application of the GIS based Decision support system (DSS) by the ministry suggests that in many cases a substantial portion of the land identified for compensatory afforestation already contain vegetation of varying density. Creation of compensatory afforestation on such land will not fully compensate the loss of trees, as there will not be enough space for the requisite number of plants to be planted. Outright rejection of such NFL for compensatory afforestation is not desirable. However, once such NFL are selected for compensatory afforestation, these NFL are required to be transferred to State Forest Department and brought under the regular management control of the SFD.

The issue of identification of suitable land for Compensatory afforestation and land bank consisting of both Degraded Forest Land (DFL) and Non Forest Land (NFL) to be made available to user agencies for compensatory afforestation has been considered in the Ministry and following guidelines are issued for identification of suitable land for Compensatory Afforestation and creation of Land Bank under Forest Conservation Act 1980:



The following amendment is made in 3.2(i) and **explanation 2** is added as under

- i. The purpose of compensatory afforestation (CA) is to compensate the loss of 'land by land' and loss of 'trees by trees'.
- ii. For compensatory afforestation the number of plants to be planted over compensatory afforestation land shall be at least 1000 plants per hectare of forest land diverted.
- iii. If the requisite number of plants @ 1000/ha can not be planted on the non-forest land identified for taking up CA, then the balance number of the plants will be planted in degraded forest land as per the provisions of working plans. The State Government will intimate to the MOEF&CC the names of the R.F./P.F. in which the balance seedling will be planted. The User Agency will deposit the cost of planting these seedlings.
- iv. If the compensatory afforestation has to be done on degraded forest land (DFL) identified for CA for as provided in para 3.2 (vi), 3.2(vii) and 3.2(ix) then normally, 1000 saplings will be planted per ha of the diverted land. In case 1000 saplings can not be accommodated per ha in the DFL identified for CA, the balance seedlings will be planted in any RF/PF as per prescription of working plan. The State Govt. will intimate names of the RFs/PFs in which the balance seedlings will be planted. The user agency will deposit the cost of plantation of the same.
- v. The compensatory afforestation may also include several activities like soil & moisture conservation, regeneration cleaning, silvicultural activities in addition to plantation as prescribed in the working plan as applicable. Compensatory afforestation schemes under Assisted Natural Regeneration models as applicable to the identified non forest land (NFL) as well as degraded forest land (DFL) may be considered as per the site requirement.
- vi. State Government will formulate compensatory afforestation scheme including activities like soil & moisture conservation, regeneration cleaning, silvicultural activities and shall ensure maintenance of these plantations for a period of seven to ten years as per requirement.
- vii. The non forest land over which compensatory afforestation will be taken up shall be notified as RF/PF and shall remain under the administrative control of State Forest Department. If the DFL over which CA will be taken up is not a notified forest under IFA or State Forest Act the same shall be notified as RF/PF under this act.


In para 3.2 (ix) the following sub para is added after (f) for identification of Land bank for compensatory afforestation

- (g) The States and UTs shall create land bank for Compensatory Afforestation for speedy disposal of the FC proposals under FC Act 1980. The degraded forest land with crown density upto 40% under the administrative control of forest department may be identified using the Satellite imagery and in consultation with Forest Survey of India and will be made available for CA for Central Government projects and Central Public Sector Units (CPSU). The *revenue lands/zudpi jungle/ Chhote/ Bade jhar ka jungle/ jungle-jhari land/civil – soyam lands* and all other such categories of land, on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable and other

waste lands and non-forest lands may also be identified as land bank for the purpose of Compensatory Afforestation. Accordingly, it was decided that to expedite creation of land bank in a systematic manner a Committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests may be constituted with Chief Wildlife Warden and representatives of revenue department in the State as members of the Committee. The committee may identify the following areas as land bank on priority for inclusion in the land Bank in addition to the blank area and plantation blank referred in para 3.2 (ix)(c) :


- (i) Degraded forest land with crown density upto 40% under the administrative control of forest department
 - (ii) Areas falling in wildlife corridors to improve **connectivity** between habitats.
 - (iii) Areas falling in and around the Protected Areas (PAs), eco-sensitive zone of PAs, forest areas under direct administrative control of the SFDs to ensure **consolidation** of such areas.
 - (iv) Habitat of rare, threatened and endangered species of flora and fauna located in the areas not under direct administrative and management control of the SFD to ensure long term **conservation** of such habitats.
 - (v) Areas falling in **catchment** areas of important rivers, water supply schemes, irrigation projects, hydro-electric projects etc.
- (h) To monitor the progress of creation of land bank for compensatory afforestation, the Ministry will constitute committees under chairmanship of Head of each Regional Office of the Ministry. Among others, representatives of the National Tiger Conservation Authority (NTCA) and the FSI will also be included as member of these committees. These committees will review the progress in creation of land bank for compensatory afforestation in the States/UTs falling under jurisdiction of the Regional Offices and submit a quarterly report to the Ministry.

This issues with the approval of competent authority


(Nisheet Saxena)
Assistant Inspector General of Forests (FC)

Copy to:

1. All PCCFs States/UTs
2. All Regional Office, MOEF&CC
3. Nodal Officers (FCA) O/o the PCCFs All States/UT
4. DIGF(FC)/Dir(ROHQ)/All AIGFs(FC), MOEF&CC New Delhi
5. PPS to Secretary, MOEF&CC New Delhi
6. PPS to DGF&SS, MOEF&CC New Delhi
7. PPS to IGF(FC)
8. Guard File


(Nisheet Saxena)
Assistant Inspector General of Forests (FC)